**आर्थिक सहायता**

# माता-पिता के लिए सूचना

**विक्टोरिया के हरेक बच्चे/बच्ची के लिए कक्षा से परे उपलब्ध सीखने के अवसरों का संसार सुलभ होना चाहिए। शिविर, खेल और भ्रमण कोष (Camps, Sports and Excursions Fund) यह सुनिश्चित करने में सहायता देता है कि कोई भी विद्यार्थी महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद और मजेदार गतिविधियों के लिए अपने सहपाठियों के साथ जुड़ने के अवसर से वंचित नहीं रहेगा। यह विक्टोरिया को शिक्षा राज्य (Education State) बनाने और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और उनके परिणामों के बीच की कड़ी को तोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है।**

|  |  |
| --- | --- |
| **शिविर, खेल और भ्रमण**  **कोष (सीएसईएफ)**  स्कूल कैंप बच्चों को शानदार आउटडोर्स में प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करते हैं। भ्रमण इस बात की गहरी समझ को प्रोत्साहित करते हैं कि खेल किस प्रकार से समूह में काम करना, अनुशासन और नेतृत्व सिखाता है। ये सभी एक स्वस्थ पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।  विक्टोरिया सरकार ने पात्र परिवारों को स्कूल के भ्रमणों, शिविरों और खेल की गतिविधियों की लागत वहन करने में सहायता देने के लिए सीएसईएफ उपलब्ध कराया है।  यदि आपके पास एक वैध साधन-परीक्षित रियायत कार्ड है या आप एक अस्थायी पालक माता/पिता हैं, तो आप सीएसईएफ (CSEF) के लिए पात्र हो सकते हैं। शरण-स्थल की खोज करने वाले और शरणार्थी परिवारों के लिए एक विशेष विचार वर्ग भी है। आपके बच्चे/बच्ची के लाभ के लिए शिविर, भ्रमण या खेल गतिविधियों से संबंधित खर्चों में प्रयोग करने के उद्देश्य से स्कूल को भत्ते का भुगतान किया जाता है।  प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वार्षिक सीएसईएफ (CSEF) धनराशि इस प्रकार है:   * प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए $125 * माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए $225     **और अधिक जानकारी**  सीएसईएफ (CSEF) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट  [https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx पर जाएँ।](https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx) | **आवेदन कैसे करें**  नए आवेदक सीएसईएफ (CSEF) आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए स्कूल के कार्यालय से संपर्क करें या या नीचे दी गई वेबसाइट से इसे डाउनलोड करें।  यदि आपने पिछले साल अपने बच्चे/बच्ची के स्कूल में सीएसईएफ (CSEF) के लिए आवेदन किया था और आपकी पारिवारिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आपको इस वर्ष आवेदन-पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।  आपको आवेदन-पत्र केवल तभी भरना होगा, यदि निम्नलिखित में से कोई परिवर्तन हुआ हो:   * **विद्यार्थी का नया दाखिला** ; इस वर्ष आपके बच्चे/बच्ची ने स्कूल शुरू किया है या स्कूल बदला है। * **पारिवारिक परिस्थितियों में परिवर्तन**; जैसे कस्टडी में बदलाव, नाम या रियायत कार्ड नंबर बदलना या इस वर्ष नए भाई/बहन द्वारा स्कूल की पढ़ाई शुरू किया जाना।   यदि आप अनिश्चित हैं, तो स्कूल के कार्यालय से पूछें। |